न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
38/15	26.05.2015	22.05.2017

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

1. छीतरलाल माता रघुनाथी पिता राम दयाल
2. हजारी बाई माता रघुनाथी पिता राम दयाल
3. केसर बाई माता रघुनाथी पिता राम दयाल
4. मन्जू बाई माता रघुनाथी पिता राम दयाल
5. ललिता बाई माता रघुनाथी पिता राम दयाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. नाथू लाल पुत्र मांगीलाल
2. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
3. छीतरलाल पुत्र मांगीलाल
4. गेपाल उर्फ राम गोपाल पुत्र मांगीलाल
5. हीरा बाई बेवा मांगीलाल
6. गोपीलाल पुत्र बजरंग लाल
7. गोरधन लाल पुत्र बजरंग लाल
8. केसरी लाल पुत्र बजरंग लाल जाति लश्करी निवासीगण ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
9. कैलाश पुत्र अमरलाल
10. मोहन पुत्र अमरलाल
11. राजू पुत्र अमरलाल
12. मुकेश पुत्र अमरलाल
13. गुड्डी पुत्री अमरलाल जाति लश्करी निवासीगण ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री मायाराम स्वामी :– वकील प्रार्थीगण
2. श्री रामबाबू दाधीच :– वकील प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में पुरानें ख0नं0 14 की 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी, प्रथम सेटलमेंट बाद प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 के पिता मांगीलाल व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के पिता बजरंग पिसरान रामचन्द्र हिस्सा 1/5 व प्रार्थीगण के नाना नारायण, गणपत व पारिया तथा लक्ष्मण पिसरान कालू हिस्सा 4/5 से दर्ज किया गया। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के नाना व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 के दादा नारायण पुत्र कालू का 1/5 हिस्सा दर्ज थी। प्रतिपक्षी नं0 14 के सेटलमेंट अधिकारियों ने सेटलमेंट कर दिया, जिसके अनुसार नये ख0नं0 50 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 51 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 52 रकबा 0.62 हे0, ख0नं0 53 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 54 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.31 हे0 कुल किता 6 रकबा 3.10 हे0 कायम किये गये। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि मांगीलाल, बजरंगलाल आ0 रामचन्द्र हिस्सा 1/5, गुलाब बाई उपनाम नाथी बाई बेवा नारायण, गणपत, पारिया व लक्ष्मण पिस0 कालू हिस्सा 4/5 दर्ज किया गया। इसके बाद प्रार्थीगण की नानी गुलाब बाई का देहान्त हो गया और बाद में उसका नाम हटा दिया गया जबकि गुलाब बाई के एक पुत्र अमरलाल व एक पुत्री रघुनाथी बाई थी, जिनका नाम गुलाब बाई के स्थान पर अंकित किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा न कर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से बिना किसी कारण के हटा दिया गया। नारायण अपनें जीवन काल में 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद गुलाब बाई प्रार्थीगण की माता अपनें जीवनकाल तक 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त रही और गुलाब बाई की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 काबिज चले आ रहे है। ग्राम चींसा की भूमि खातेदार गणपत, पारिया व लक्ष्मण तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ता

Scanned by CamScanner

4 के पिता व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के पिता बजरंगलाल द्वारा अपनें हिस्से से अधिक भूमियों को फर्दन फर्दन रूप से बैचान कर दी गयी व वर्तमान में ग्राम चींसार की भूमि ख0नं0 463/51 रकबा 0.62 हे0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 के पिता व नं0 5 के पति मांगीलाल व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के पिता बजरंग लाल के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिस पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के प्रार्थीगण 1/2 हिस्से से व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 भी 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद में पुरानें ख0नं0 87 की 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी, प्रथम सेटलमेंट बाद प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 पिता मांगीलाल व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के पिता बजरंगा पिसरान रामचन्द्र हिस्सा 1/5 व प्रार्थीगण के नामा नारायण, गणपत व पारिया तथा लक्ष्मण पिसरान कालू हिस्सा 4/5 से दर्ज किया गया। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के नाना व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 के दादा नारायण आ0 कालू का 1/5 हिस्सा दर्ज था। प्रतिपक्षी नं0 14 के सेटलमेंट अधिकारियों ने सेटलमेंट कर दिया जिसके अनुसार नये ख0नं0 169 रकबा 1.93 हे0 कायम किया गया। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि मांगीलाल, बजरंगा, रामचन्द्र आ0 कालू हिस्सा 1/5, गणपत, पारिया व लक्ष्मण पिस0 नारायण गुलाब बाई उर्फ नाथी बाई बेवा नारायण हिस्सा 4/5 दर्ज किया गया। मांगीलाल व बजरंगा कालू के पुत्र न होकर रामचन्द्र के पुत्र कालू तो रामचन्द्र का पिता है। इसी प्रकार गणपत, पारिया व लक्ष्मण के पिता का नाम कालू है जबकि गलती से नारायण अंकित कर दिया है। जबकि नारायण, गणपत, पारिया व लक्ष्मण का भाई है। नारायण के गणपत, पारिया व लक्ष्मण पुत्र नहीं है। इसके बाद प्रार्थीगण की नानी गुलाब बाई बेवा नारायण का देहावसान हो गया और बाद में उसका नाम हटा दिया गया जबकि गुलाब बाई के एक पुत्र अमरलाल व एक पुत्री रघुनाथी बाई थी, जिसका नाम गुलाब बाई के स्थान पर अंकित किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से बिना किसी कारण के हटा दिया गया। नारायण अपनें जीवन काल में 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद गुलाब बाई प्रार्थीगण की नानी अपनें जीवन काल तक 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त रही और गुलाब बाई की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 काबिज काश्त चले आ रहे है। ग्राम ककरावदा की भूमि खातेदार गणपत, पारिया व लक्ष्मण अथवा उनके वारिसान द्वारा तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ता

Scanned by CamScanner

4 के पिता व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के पिता बजरंगलाल द्वारा अपनें हिस्से से अधिक भूमियों को फर्दन फर्दन रूप से बैचान कर दी गयी व वर्तमान में ग्राम ककरावदा की भूमि ख0नं0 278/169 रकबा 0.38 हे0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 के पिता व नं0 5 के पति मांगीलाल व प्रतिपक्षी नं0 6 ता 8 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के प्रार्थीगण 1/2 हिस्से से व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 भी 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रार्थीगण के नाना, नानी ने कभी भी अपनें हिस्से की भूमि को बैचान नहीं किया है और न किसी प्रकार का प्रलेख ही आलेखित किया है। इस कारण वाद पत्र की मद नं0 6 व 8 में अंकित भूमि को प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 के खातें से हटाकर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित करना आवश्यक हो गया है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 व 11 में वर्णित भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षी नं0 9 ता 13 उक्त भूमि को प्रार्थीगण की सहमति से मुनाफे काश्त पर जुपवाता है। इस वर्ष का मुनाफा नहीं देनें पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 को उक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज कराने व उनका नाम हटानें को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 नाराज हो गये और प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 ने रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 17.05.2015 को भूमियों को रहन, बैचान करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि तावैफसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 ग्राम धीरा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 463/51 रकबा 0.62 हे0 भूमि एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 278/169 रकबा 0.38 हे0 भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण आदि नहीं करें, प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि को

काश्त करनें से नहीं रोके और न बैदखल करें तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 की ओर से विद्वान वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालातनामा प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 8 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने का निवेदन किया तथा विषेष कथन किये कि प्रार्थीगण मृतक नारायण मृतक गुलाब बाई के वारिसान उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक द्वारा वसीयत करनें से वसीयत ग्रहिता प्रेम बिहारी के नाम तहसीलदार दीगोद के आदेश से नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त है तथा टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग उपभोग करनें का अप्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। टीनेन्सी एक्ट में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अजनबी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकार नहीं है व खातेदार के विरूद्ध स्टे प्रदान नहीं किया जा सकता है। शेष आपत्तियां मौखिक रूप से बहस वक्त निवेदन की जावेगी।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

दस्तावेंजी साक्ष्य में पक्षकारान् द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –

1. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070–73
2. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2070–73
3. छायाप्रति जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम ककरावदा सं0 2013–32
4. छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध ग्राम ककरावदा सं0 2043–62
5. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2043–62
6. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा नामा0 नं0 358
7. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा
8. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा नामा0 नं0 394
9. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा नामा0 नं0 397
10. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा नामा0 नं0 433
11. छायाप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम चींसा नामा0 नं0 439

Scanned by CamScanner

12. छायाप्रति जमाबंदी भू-प्रबंध ग्राम चींसा सं0 2013-32
13. छायाप्रति जमाबंदी भू-प्रबंध ग्राम चींसा सं0 2043-62
14. छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंध ग्राम चींसा सं0 2043-62
15. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2070-73 खाता नं0 31
16. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 34
17. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 70
18. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 88
19. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 119
20. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 132
21. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चींसा सं0 2070-73 खाता नं0 146
22. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2070-73 खाता नं0 60
23. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2070-73 खाता नं0 44
24. छायाप्रति जमाबंदी ग्राम ककरावदा सं0 2070-73 खाता नं0 34

हमने प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षीगण को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तीन बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिकांशतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किये कि गुलाब बाई का नाम नाथी बाई भी है। गुलाब बाई की मृत्यु के बाद उनका नाम खाते से हटा दिया गया। जिनके वारिसान अमरलाल व रघुनाथी बाई है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है, यदि इसकी वसीयत भी हो तो उनके हिस्से अनुसार हिस्सा वसीयत कर सकते है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं आया है अतः धारा 88 के दावा लेकर आये है। पैतृक सम्पत्ति में हमारा जन्म से अधिकार निहित है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान हो जाता है तो मेरा दावा लाने का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। भले ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिपक्षीगण को लोन की सुविधा मिलती रहे परन्तु प्रोपर्टी का बेचान नहीं करे। प्रतिपक्षीगण ने अपने जवाब में कहा है कि प्रार्थी गुलाब गुलाब बाई के वारिसान नहीं है, जबकि यह तथ्य दावे में तय किये जायेंगे। गुलाब बाई द्वारा की गई वसीयत पर वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वारिसान को सूचना जाता है परन्तु हमें कोई नोटिस नहीं मिला। वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित नहीं है, पैतृक

सम्पत्ति है, अतः केवल अपनें हिस्से की ही वसीयत कर सकते है। कब्जें बाबत् भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि का बैचान नहीं किया जावें।

दौराने बहस विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण ने कथन किये कि प्रार्थीगण जिस भूमि का दावा लाये है वह भूमि ग्राम चींसा एवं ककरावदा की है। प्रकरणाधीन भूमि के मूल खातेदार कालू थे। प्रार्थीगण केवल नारायण के वारिसान् बन दावा लाए है। गुलाब बाई ने बंटवारे के बाद केवल अपनें हिस्से की जमीन अपनी सगी बहिन के बेटे को दिनांक 16.06.88 को वसीयत आलेखित कर दी। गुलाब बाई की मृत्यु के बाद प्रेमबिहारी ने तहसीलदार दीगोद के यहा दिनांक 16.06.88 की वसीयत अनुसार नामान्तरकरण खोलनें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 28.02.94 को पटवारी को इंतकाल खोलनें हेतु निर्देशित किया गया। वसीयत में गुलाब बाई के कोई लडका–लडकी नहीं है। वसीयत में सभी खसरें एवं पैतृक व स्वअर्जित भूमि का स्पष्ट उल्लेख है। नामान्तकरण खुलने के बाद प्रेमबिहारी ने आगे भी जमीन बैचान कर दी है, यह तथ्य का प्रार्थी को ध्यान नहीं है। प्रकरणाधीन भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हम है, और कब्जा भी हमारा ही है। प्रार्थी जब हमारे वारिसान् व रिश्तेदार ही नहीं है तो किस हक से अधिकार रखते है। तहसीलदार की जांच में भी गुलाब बाई का लाऔलाद फोत होना माना है। उक्त निर्णय की किसी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा मद नं0 6 में केवल रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

बहस रिपीटल में वकील प्रार्थी ने कथन किये कि वसीयत के समय गुलाब बाई की उम्र 60 वर्ष थी। नारायण जी के पूर्व पत्नी नाथी तथा बाद में गुलाब बाई थी। हम नाथी बाई की सन्तान है, जो तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं0 9 ता 13 लीगल वारिस है।

दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि हस्व जमाबन्दी ग्राम

Scanned by CamScanner

चींसा तहसील दीगोद सम्वत् 2070–73 खाता नम्बर 71 एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद सम्वत् 2070–73 खाता नं0 45 के प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 8 अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण का कथन है कि, प्रार्थीगण के नाना, नानी ने कभी भी अपनें हिस्से की भूमि को बैचान नहीं किया है और न किसी प्रकार का प्रलेख ही आलेखित किया है। गुलाब बाई के लाऔलाद फोत होना या गुलाब बाई के वारिसान् के प्रमाणिकरण के सम्बन्ध में, प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त दस्तावेज पर मात्र इतना लिखा जाना ही पर्याप्त है कि उक्त दस्तावेज सही है या गलत तथा गुलाब बाई के वारिसान्, इस तथ्य का विनिश्चय दावे में होगा न कि, इस प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण का नहीं पाया जाता है।

अप्रार्थीगण 1 ता 8 का विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदार का स्टैटस प्रकट एवं प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र कथन किया है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है परन्तु कब्जे बाबत कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर वे काबिज़ काश्त है। इसके विपरीत अभिलिखित खातेदार का कब्जा होने की अवधारणा है। प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। साथ ही सेटलमेंट जमाबंदी में प्रतिपक्षी नं0 1 ता 8 के पिता मांगीलाल व बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र का 1/5 हिस्सा पुथक से दर्ज है, जबकि गुलाब बाई बेवा नारायण का हिस्सा गणपत, पार्या व लक्ष्मण पुत्रान कालू के साथ 4/5 हिस्सा प्रतिपक्षी 1 ता 8 के हिस्से से पृथक है। अतः अप्रार्थीगण नं0 1 ता 8 के पक्ष में सुविधा का संतुलन पाया जाता है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, और प्रति0 कम 1 ता 8 विवादित आराजी के वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है । प्रार्थीगण के विवादित आराजी पर स्वत्व तय नहीं किये गये हैं इसके विपरीत अप्रार्थी0 कम 1 ता 8 के रिकार्ड के अनुसार तो स्वत्व प्रकट होते हैं। साथ ही अभिलिखित खातेदार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा दिया जाना विधिसंगत नहीं पाया जाता है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा

Scanned by CamScanner

सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर । प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज़ किया जाता है, दिनांक 26.05.2015 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 55/15 के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Scanned by CamScanner